न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 39/22

GCMS NO 2022/67

1. रामलाल पुत्र भागोता जाति गुर्जर
2. सुआ लाल पुत्र भागोता जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. रघुनाथ पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर
3. भू प्रबंध अधिकारी टोंक,राजस्थान

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 23/20 निर्णय दिनांक 23.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 17.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के बुर्जगो की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है। जिसके उत्तरी और गैरमुमकिन चारागाह दक्षिण मे ख0न0 795 व 797 स्थित जो दीगर खातेदारान की है। पूर्व मे ख0न0 803 स्थित है तथा पश्चिम मे गैर मुमकिन [illegible] जो गांव का कदीमी रास्ता है। जो प्रार्थीगण के खेत के सहारे पश्चिम मे समानान्तर च[illegible] हुआ [illegible]त्तर मे स्थित गैर मुमकिन चारागाह सें होकर जाता है जिससे हमेशा से [illegible] [illegible] भी हो रहा है। उक्त आराजी ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 वि[illegible] [illegible]पुत्र कालू हिस्सा 1/2 तथा जगन्नाथ पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/2 का नाम बतोर खातेदार का[illegible]र कालम न0 5 मे अंकित [illegible]गण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

थे भागोता पुत्र कालू हिस्सा 1/2 तथा जगन्नाथ पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/2 का नाम बतौर खातेदार कालम न0 5 मे अंकित है जो प्रार्थीगण के बुजुर्ग थे। भागोता प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता थे तथा जगन्नाथ प्रार्थी संख्या 3 के बडे भाई थे जो लाऔलाद अविवाहित फौत हो गये। जिनका एक मात्र कानूनी वारिस रघुनाथ होने से वर्तमान जमाबंदी मे हम प्रार्थीगण को बतौर खातेदार काश्तकार दर्शाया गया है। चालू जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 जो प्रार्थीगण का समर्थन करती है। भागोती व जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उनके वारिसान होने से प्रार्थीगण का नाम वर्तमान जमाबंदी मे बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात की वास्तविक स्थिति दर्शाने हेतु नक्शा ट्रेस सन 1945 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है जो बन्दोवस्त 10 साला के साथ संलग्न है। जिसमे विवादित खेत खसरा न0 796 की स्थिति दर्शाते हुए उक्त खेत के पश्चिम मे होकर आम रास्ता दर्शाया गया है। जो प्रार्थीगण के खेत विवादित के समानान्तर उत्तर मे स्थित गैर मुमकिन चारागाह तक जाना दर्शाया गया है। बन्दोवस्त बीस साला मे भी यही स्थिति रही तथा अब कुछ समय पहले हुए सेंटलमेंट मे प्रार्थीगण के उक्त खेत ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 विस्वा के नवीन नम्बर कायम कर दिये। जो कमश ख0न0 1803 रकबा 0.26 है0, ख0न0 1805 रकबा 0.6 है0 गैर मुमकिन शा0इमारत , ख0न0 1806 रकबा 1.03 है0 ख0न0 1807 रकबा 0.88 है0, ख0न0 [illegible] 0.15 है0 गैर मुमकिन रास्ता , ख0न0 1810 रकबा 0.13 है0 , ख0न0 1812 रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.67 है0 कायम कर दिया जिसमे प्रार्थीगण को आपत्ति है। क्योकि अप्रार्थी सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने बिना किसी आधार के प्रार्थीगण की खातेदारी मे कमी कर 0.15 है0भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्शा दिया। जिसमे सबसे प्रमुख आपत्ति यह है कि उक्त 0.15 है0 गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी मे से कम कर जहॉ प्रार्थीगण की भूमि कदीमी मे स्थित है उसमे बीचो बीच से होकर हमारी खातेदारी की भूमि को दो हिस्सो मे बांट कर बीच मे से रास्ता दर्शाया गया है। जबकि कभी भी हमारे खेत के बीच मे से कोई रास्ता नही रहा है बल्कि हमेशा से रास्ता हमारे खेत के पश्चिम मे होकर समानान्तर दक्षिण से उत्तर को जाता रहा है जो प्रार्थीगण के खेत के उत्तर मे स्थित चारागाह भूमि तक प्रार्थीगण के खेत के सहारे होकर पश्चिम से होकर प्रार्थीगण के खेत के बाद इस चारागाह मे होकर रहा है। जो आज भी स्थित है। जबकि अप्रार्थीगण ने बिना किसी आाधार के व बिना किसी अधिकार के हमारे खेतो के बीच मे होकर हमारी खातेदारी की भूमि मे कमी कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.15 है0 दर्शाया है। जिससे एक तरफ तो हमारी खातेदारी की भूमि का रकबा कम कर दिया गया है तथा हमारे कदीमी बुर्जगो से प्राप्त खेत को दो हिस्सो मे बांट कर बीच मे से रास्ता बना दिया गया है। जो विधि विरूद्ध है। सेटलमेंट को केवल भूमि की नाम करने का अधिकार है किसी खातेदार की भूमि को कम या ज्यादा करने का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मे से 0.15 है0 रकबे को गलत रूप से गैर मुमकिन रास्ता का जो अंकन किया गया है उसे दुरूस्त कर पूर्व [illegible] 2 अंकन किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय [illegible] द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र [illegible] होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की आराजी ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 विस्वा ग्राम बाडोलास मे स्थित है। जिसके सेटलमेंट ने नवीन ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 विस्वा के नवीन नम्बर कायम कर दिये। जो क्रमश ख0न0 1803 रकबा 0.26 है0, ख0न0 1805 रकबा 0.6 है0 गैर मुमकिन शा0इमारत , ख0न0 1806 रकबा 1.03 है0 ख0न0 1807 रकबा 0.88 है0, ख0न0 1809 रकबा 0.15 है0 गैर मुमकिन रास्ता , ख0न0 1810 रकबा 0.13 है0 , ख0न0 1812 रकबा 0.06 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.67 है0 कायम कर दिये। जो हमारी कदीमी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 विस्वा से कायम हुए है। जिसमे हमारी खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1809 रकबा 0.15 है0भूमि की किस्म बदलकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के कारण ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलांट द्वारा बन्दोबस्त 20 साला की प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रति अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी जिसमे हमारी खातेदारी की भूमि ख0न0 796 के सहारे पश्चिम मे समानान्तर आ रहा है परन्तु सेटलमेंट के बाद रेस्पो0 द्वारा जो रास्ता दर्शाया गया है वह हमारे खेत के बीच मे से दर्शाया है। जबकि हमेशा से रास्ता हमारे खेतो के सहारे पश्चिम दिशा मे समानान्तर बना हुआ है। जो अभी भी चल रहा है। हमारे खेत मे से कभी रास्ता नही रहा है मौके पर आज भी मौजूद नही है मौके पर हमेशा का रास्ता हमारे खेतो के सहारे पश्चिम दिशा मे समानान्तर बना हुआ है। जो आज भी चला आ रहा है। हमारे गांब के कुछ प्रतिभाशाली लोगो ने सेटलमेट के दौरान अधिकारियो से मिलकर बिना हमारी जानकारी व सहमति के हमारे खेत के नये नम्बर कायम कर दिये जिसमे रास्ता हमारे खेत मे अंकित कर दिया। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबाब रेस्पो0 प्राप्त किये ही हमारे विरूद्व निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की आड मे ग्रामवासी हमारी खातेदारी मे से रास्ता निकालने पर आमादा है। अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण नया व पुराना रिकार्ड अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर न्यायालय को संतुष्ट किया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनको नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि अगर प्रतिवादीगण को तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो आम जनता की शिकायत को आधार बनाकर जबरदस्ती हमारी खातेदारी की भूमि मे लेकर नया रास्ता निकाल देगे। जिसे अपीलाट के खातेदार अधिकारो की सुरक्षा हेतु आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे बहुमूल्य अधिकारो को अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर [illegible] न्यायालय का आलोच्य आदेश आपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई [illegible] कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के [illegible] ख0न0 1809 रकबा 0.15 है0 गैर मुमकिन चारागाह से होकर नवीन रास्ता नही निकाले व अपीलांटान के काश्त कर अपने खातेदारी अधिकारो के उपयोग उपभोग मे न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे ना ही अन्य किसी से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जबाब मे पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0न0 1809 मे से रकबा 0.15 है0 मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। रास्ता आम जन की सुविधा के मद्देनजर ही सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा दर्ज किया गया है। अपीलांट रेस्पो0/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। अपीलांट द्वारा यह नही बताया गया है कि सेटलमेंट कब हुआ एवं गैर मुमकिन रास्ता कब दर्ज किया गया है जिसकी कोई तारीख आदि का उल्लेख अपीलांट द्वारा नही किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि सेटलमेंट द्वारा की गई गलती को सुधारने का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे निर्णित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं भारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि साबिक ख0न0 796 रकबा 10 बीघा 11 विस्वा के सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये है। अपीलांट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय के विरूद्व पेश की गई है। जिसमे प्रार्थना पत्र के तीन बिन्दुओ के संबंध मे निर्णय पारित किया जाना है। प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। दुरूस्ती का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना अपीलांट ने स्वयं माना है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये कम या ज्यादा रकबे के संबंध मे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे तय होगे। इस स्तर पर रेस्पो0 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 23/20 निर्णय दिनांक 23.5.22 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner